मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1361

14 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए नीति

1361. श्रीमती छाया वर्मा:
चौधरी सुखराम सिंह यादव:
श्री राम नाथ ठाकुर:
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर को देखते हुए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) हेतु चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन उपलब्ध करने हेतु डीडीए की क्या नीति है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इस नीति के तहत कितनी जमीन आवंटित की गई है;

(ग) सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को लगाने के लिए जमीन आवंटित करने हेतु डीडीए द्वारा अभी तक प्राप्त किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है और उन आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने हेतु जमीन का आवंटन करने में शिथिलता बरत रहा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क): दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) के पैरा 12.13 में सीएनजी स्टेशनों (https://dda.gov.in/sites/default/files/inline-files/Master Plan for Delhi 2021_text report.pdf) सहित ईंधन स्टेशनों के लिए प्रावधान हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी

स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशन (सीएनजी सहित) स्थापित करने के विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अधिसूचना संख्या 1244 (ई) दिनांक 08.03.2019 https://egazette.nicin/WriteReadData/2019/199511.pdf) में निहित हैं। (इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति में "पैरा 20.6.6 पार्किंग" के अनुसार (https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/228596.pdf), कम से कम दिल्ली एकीकृत भवन उपनियम, 2016 के अनुसार के 20 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट से सुसज्जित होगा। एमपीडी-2021 में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख): पिछले 3 वर्षों के दौरान 6 सीएनजी साइटों के लिए भूमि की नीलामी की गई है। डीडीए ने निजी स्वामित्व वाली भूमि पर सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए 28 मामलों में योजना अनुमति (एनओसी) भी प्रदान की है।

(ग): सीएनजी स्टेशनों के आवंटन के लिए 70 आवेदन प्राप्त हुए थे। डीडीए ने खुली ई-नीलामी के माध्यम से सीएनजी साइटों को आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे सीएनजी साइटों के आवंटन में वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

(घ): जी,नहीं।

*****